भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3065
दिनांक 08.08.2023/17 श्रावण,1945 (शक) को उत्तर के लिए

वामपंथी उग्रवाद

3065. श्री सुनील कुमार सिंह:
श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से निपटने के लिए कोई विशेष नीति है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट सुरक्षा उपाय किए गए है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा और संख्या क्या है;

(घ) क्या प्रभावित जिलों की संख्या भौगोलिक क्षेत्रों और उक्त क्षेत्रों में हिंसा की घटनाओं के संदर्भ में वामपंथी उग्रवाद में काफी कमी देखी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो झारखण्ड सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क से ङ)

(i) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, पुलिस और लोक व्यवस्था के विषय राज्य सरकारों के पास हैं। तथापि, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। एलडब्ल्यूई समस्या के समग्र समाधान हेतु वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना को 2015 में अनुमोदित किया गया था। इसमें एक बहु-आयामी नीति की परिकल्पना है जिसमें सुरक्षा से संबंधित उपाय, विकास कार्यक्रम, स्थानीय समुदायों के अधिकार और हकदारियां सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।

सुरक्षा के मोर्चे पर, भारत सरकार केन्द्रीय सशस्त्र बलों की बटालियनें उपलब्ध करा कर, प्रशिक्षण देकर, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन उपलब्ध करा कर, उपकरण और आयुध उपलब्ध करा कर, आसूचना साझा करके, फोर्टीफाइड पुलिस स्टेशन का निर्माण आदि द्वारा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों की सहायता करती है;

पिछले पांच वर्षों में स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम (एसआईएस), सिक्युरिटी रिलेटेड ऐक्स्पेंडीचर (एसआरई) तथा स्पेशल सैंट्रल असिस्टेंस (एससीए) योजनाओं के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों

की क्षमता निर्माण के लिए 4931 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा, वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता (ACALWEM) योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा शिविरों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और हेलीकॉप्टर उपयोग हेतु केंद्रीय एजेंसियों को 764 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

विकास के मद में भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीमों के अलावा, भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में कई विशेष प्रयास किए हैं, जिनका मुख्य जोर सडक नेटवर्क का विस्तार, दूरसंचार संपर्क में सुधार, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन है।

(ii) इस नीति के दृढ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हिंसा में लगातार कमी हुई है और इसका भौगोलिक विस्तार भी सीमित हुआ है। एलडब्ल्यूई से संबंधित हिंसा की 2010 की घटनाओं के उच्च स्तर की तुलना में 2022 में 76% की कमी हुई है, जबकि इसमें मरने वालों (नागरिक + सुरक्षा बल) की संख्या भी 2010 में अब तक की अधिकतम संख्या 1005 से 90% कम होकर 2022 में 98 रह गई है।

एलडब्ल्यूई से संबंधित हिंसा की रिपोर्ट करने वाले पुलिस थानों की संख्या 2010 में 96 जिलों के 465 पुलिस थानों से कम होकर 2022 में 45 जिलों में 176 पुलिस थाने रह गए हैं। भौगोलिक विस्तार में कमी सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम के तहत शामिल जिलों की संख्या में कमी में भी परिलक्षित होता है। एसआरई जिलों की संख्या अप्रैल 2018 में 126 से कम होकर 90 और फिर जुलाई 2021 में 70 हो गई।

पिछले 05 वर्ष के दौरान वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की घटनाओं और उसमें हुई मृत्यु (सुरक्षा बल + नागरिक) का, झारखण्ड सहित वर्ष-वार आंकडा अनुलग्नक में दिया गया है।

******

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 3065, दिनांक 08.08.23

अनुलग्नक

एलडब्ल्यूई से संबंधित घटनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा

राज्य	2018	2019	2020	2021		2022	
				वी.पी.एम.	एस.आई.आई.	वी.पी.एम.	एस.आई.आई.
आंध्र प्रदेश	12	18	12	8	3	3	0
बिहार	59	62	26	20	6	11	7
छत्तीसगढ	392	263	315	188	67	246	59
झारखंड	205	200	199	100	30	96	36
केरल	0	3	2	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	4	5	16	15	4	16	5
महाराष्ट्र	75	66	30	15	16	16	4
ओडिशा	75	45	50	11	21	16	6
तेलंगाना	11	8	15	4	1	9	1
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0
	833	670	665	361	148	413	118

*वी.पी.एम.- एलडब्ल्यूई द्वारा अंजाम दी गई घटनाएं

**एस.आई.आई.- सुरक्षा बलों की कार्रवाई

वर्ष 2022 से, वामपंथी उग्रवादियों द्वारा अंजाम दी गई घटनाओं और सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों की संख्या के लिए अलग-अलग आंकडे रखे जाते हैं।

वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की इन घटनाओं में होने वाली परिणामी मृत्यु (नागरिक+ सुरक्षा बल) का वर्ष-वार ब्यौरा

राज्य	2018	2019	2020	2021	2022
आंध्र प्रदेश	3	5	4	1	1
बिहार	15	17	8	7	1
छत्तीसगढ	153	77	111	101	61
झारखंड	43	54	39	26	12
केरल	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	2	2	3	2
महाराष्ट्र	12	34	8	6	8
ओडिशा	12	11	9	3	11
तेलंगाना	2	2	2	0	2
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0
कुल	240	202	183	147	98

*****